

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-7

संख्या: /xxiv(7)/29(1)/2013
देहरादून : दिनांक 13 दिसम्बर, 2013

कार्यालय-झाप

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) कार्यक्रम के अन्तर्गत 'उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा परिषद' का निम्नवत् गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. अध्यक्ष - सुप्रसिद्ध शिक्षाविद/सार्वजनिक जीवन से जुड़ा बुद्धिजीवी।
2. उपाध्यक्ष - प्रोफेसर स्तर का शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़ा सुप्रसिद्ध प्रशासक (यदि अध्यक्ष गैर शैक्षणिक क्षेत्र का व्यक्ति हो अन्यथा की स्थिति में उद्योग क्षेत्र आदि का कोई प्रोफेशनल जो अपने क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखता हो)।
3. सदस्य सचिव - प्रोफेसर स्तर का सुप्रसिद्ध शिक्षाविद-मुख्य कार्यकारी।
4. सदस्य - राज्य परियोजना निदेशक।
5. 10 से 15 सदस्य - कला, विज्ञान एवं तकनीकी, संस्कृति, नागरिक समाज, उद्योग एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति।
6. 03 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं 02 स्वायत्तशासी/सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य।
7. भारत सरकार का एक प्रतिनिधि।

उपरोक्तानुसार गठित परिषद में नामांकन की कार्यवाही पृथक से की जाएगी।

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 354/XXIV/29(1)/2013 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचसार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त सचिव (उच्च शिक्षा) एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. कुलपति, उच्च शिक्षा के क्षेत्रान्तर्गत समस्त 04 राज्य विश्वविद्यालय।
4. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, इल्हानी (नैनीताल)।
5. उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।
6. तकनीकी सहयोग गुप के समस्त सदस्य-द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. डॉ0 सतपाल सिंह साहनी, नोडल अधिकारी (रूसा), उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

अज्ञा सो.
(साक्षिका झा)
अपर सचिव।